न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मयंक पालीवाल, RJS**
निय.आप.प्रकरण संख्याः- **2565/2017**
सी.आई.एस. प्रकरण संख्याः- **2565/2017**
सी.एन.आर. नम्बरः- **RJSM020047462017**

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी **-अभियोगी**

बनाम

रमेश पुत्र पूरण उम्र 62 साल निवासी कागजी मौहल्ला थाना कोतवाली सवाई माधोपुर। **-अभियुक्त**

अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता

उपस्थितः-

1. अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री विक्रम शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

भाग प्रथम

A

परिवादी	इन्तेखाव अहमद पुत्र सगीर अहमद निवासी मिर्जा मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर
प्रस्तुतकर्ता	अभियोजन अधिकारी, सवाई माधोपुर
अभियुक्त का नाम व पता	रमेश पुत्र पूरण उम्र 62 साल निवासी कागजी मौहल्ला थाना कोतवाली सवाई माधोपुर
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री विक्रम शर्मा

B

अपराध की दिनांक	21-09-2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	07-10-2017
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	12-12-2017
आरोप सारांश सुनाये जाने की दिनांक	12-12-2017

साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	02-05-2025
निर्णय दिनांक	04-08-2026
दण्डादेश की दिनांक	-

भाग -द्वितीय

अ- अभियोजन गवाहान

क्रम सं.	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)**
पी.डब्ल्यू.1	इन्तेकाव अहमद	परिवादी व मजरूब
पी.डब्ल्यू.2	जफर अहमद	बयान 161 दं.प्र.सं.
पी.डब्ल्यू.3	सुबराती	बयान 161 दं.प्र.सं.
पी.डब्ल्यू.4	तेजसिंह	मैकेनिकल मुआयना का गवाह
पी.डब्ल्यू.5	लक्ष्मण सिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू.6	नेनूराम	फर्द जप्ती बस
पी.डब्ल्यू.7	डॉ० शिशिर बैरवा	चिकित्सकीय साक्षी

ब- बचाव गवाह

क्रम सं.	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)**
--		

स- न्यायालय गवाह

क्रम सं.	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह**
--		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ- अभियोजन प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी.2	चाक एफ.आई.आर.
3	प्रदर्श पी.3	चोट प्रतिवेदन
4	प्रदर्श पी.4	एक्स-रे रिपोर्ट
5	प्रदर्श पी.5	नक्शा मौका घटनास्थल
6	प्रदर्श पी.6	पुलिस बयान इन्तेखाव अहमद
7	प्रदर्श पी.7	पुलिस बयान जफर अहमद
8	प्रदर्श पी.8	पुलिस बयान सुबराती
9	प्रदर्श पी.9	फर्द जप्ती बस
10	प्रदर्श पी.10	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
11	प्रदर्श पी.10	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट

ब- बचाव प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	--	

स- न्यायालय प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	--	

द- भौतिक वस्तुएंः

क्रम सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण
	--	

निर्णय **दिनांक 04-08-2026**

01. उक्त प्रकरण का उद्भव पुलिस थाना कोतवाली, सवाई माधोपुर पर दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 562/2017 अपराध अंतर्गत धारा 279, 337 भा.दं.सं. से हुआ है, जिसका बाद विचारण एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

02. इस आपराधिक प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी इन्तेखाव अहमद ने पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर पर दिनांक 07-10-2017 को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि वह दिनांक 21-09-2017 को सुबह 7.30 बजे बस नम्बर आरजे 25-पीए-1016 में बैठकर शहर से रेल्वे स्टेशन सवाई माधोपुर जा रहा था। बस का चालक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर बस को तेज रफ्तार से लहराता हुआ चलाता हुआ जा रहा था। सवारियों ने उसे मना किया कि गाड़ी धीरे चला लेकिन ड्राईवर नहीं माना और ड्राईवर ने उक्त बस को तेज रफ्तार, लापरवाही से चलाकर लटिया नाले की पुलिया के रोंग साईड में आकर टक्कर मार दी। प्रार्थी एकदम झटके से बस के ड्राईवर के पास आकर आगे हिस्से से टकराया जिससे प्रार्थी का बांया हाथ 2 जगह से टूट गया व दाहिने कंधे में भी चोट आयी तथा प्रार्थी के शरीर में साधारण व गंभीर चोट आयी। प्रार्थी को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसी दिन जयपुर रेफर कर दिया। प्रार्थी के बांये हाथ का ऑपरेशन हुआ व बांये हाथ में राड़ डाली गयी, जिसमें प्रार्थी को काफी समय लगा गया तथा वहाँ से ईलाज कराकर थोड़ा स्वास्थ्य लाभ मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराने आया है.......... इत्यादि।

03. उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर में एफ.आई.आर. संख्या 562/2017 अपराध अंतर्गत धारा 279, 337 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान न्यायालय में अभियुक्त रमेश के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. के अपराध प्रमाणित पाते हुए उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराधों में आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. तत्पश्चात् अभियुक्त को धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. के अपराधों के आरोप की विशिष्टियाँ मौखिक रूप से सुनाई व समझाई गई तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझकर उक्त आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर साक्ष्य अभियोजन तलब की गई।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 पर भाग द्वितीय में बिन्दु संख्या "अ" में वर्णित गवाहान को न्यायालय

के समक्ष परीक्षित करवाया गया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य में पृष्ठ संख्या 3 पर बिन्दु संख्या "अ" में अंकित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है।

06. अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत किया किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताया। साथ ही प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य का अवसर बंद किया गया।

07. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई।

08. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि अभियुक्त द्वारा लोक मार्ग पर बस नम्बर RJ 25-PA-1016 को तेज गति व लापरवाही से चलाई गई, जिससे बस अनियंत्रित होकर लटिया नाले की पुलिया से टकरा गई व बस में बैठे परिवादी इन्तेखाव अहमद के हाथ में अस्थिभंग कारित हुआ व शरीर पर कई जगह साधारण चोटें भी आयी। उक्त तथ्यों की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से होती है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित कर कठोरतम दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया।

09. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस यह कथन किया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे गलत प्रकार से प्रकरण में संलिप्त किया गया है। प्रकरण में परिवादी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही हुए हैं। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के रूप में अभियुक्त रमेश की पहचान प्रमाणित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है। ऐसे में अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

10. सुना गया। बहस के प्रकाश में पत्रावली का व सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण के न्यायपूर्ण विनिश्चयार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 21-09-2017 को समय सुबह 7.30 बजे या इसके लगभग थाना कोतवाली, सवाई माधोपुर के सामने लोकमार्ग

पर वाहन बस नम्बर RJ 25-PA-1016 को उतावलेपन, लापरवाही व तेज गति से चलाया, जिससे उक्त बस नियंत्रित होकर थाना कोतवाली, सवाई माधोपुर के आगे स्थित लटिया नाले की पुलिया से टकरा गई व बस में बैठे परिवादी इन्तेखाव अहमद के हाथ में अस्थिभंग कारित हुआ व शरीर पर अन्य जगह साधारण चोटें कारित हुई ?

2. यदि उक्त विचारणीय प्रश्न का उत्तर हाँ में हो तो अभियुक्त को क्या उचित दंड दिया जावे?

11. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में यदि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन, विश्लेषण व मूल्यांकन किया जावे तो अभियोजन पक्ष की ओरसे अभियोजन कहानी को साबित करने हेतु कुल 7 गवाहान को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है, जिनमें से गवाह पी.ड.-1 इन्तेकाव अहमद प्रकरण में परिवादी व मजरूब है, जिसने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 21-09-2017 को सुबह लगभग 7.00-7.30 बजे वह शहर पुलिस चौकी से स्टेशन आने के लिए सिटी बस में बैठा था। बस वाले ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाया व तेज गति व लापरवाही से बस चलाई तथा कोतवाली थाने के बाहर पास में स्थित पुलिया के पिल्लर पर टक्कर मार दी, जिससे स्वयं का पूरा हाथ टूट जाना व शरीर पर कई जगह चोटें आना गवाह ने बताया है। बस के नम्बर याद नहीं होना गवाह ने जाहिर किया है। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है, जिसने अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-2, स्वयं के चोट प्रतिवेदन प्रगदर्श पी-3, एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी-4, नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है तथा बस के नम्बर आरजे 25 पीए 1016 होना व बस वाले द्वारा बस को लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने से एक्सीडेंट हो जाना बताया है। गवाह ने यह भी कहा है कि बस ड्राईवर उसके सामने आये तो वह उसे पहचान सकता है क्योंकि वह सिटी का ही है। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी-6 का ए से बी भाग सही होना बताया है।

12. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि बस किसकी है, उसे पतार नहीं है। वह बस में ड्राईवर के पीछे बैठा हुआ था। बस में सारी सीटे फुल थी तथा कोई खड़ा नहीं था। बस में 20-25 आदमी बैठे थे। बस में उसके जानकार सुबराती व जफर थे। स्वयं के अलावा अन्य लोगों के भी चोटें आना लेकिन ज्यादा चोटें नहीं आना बताता

है। जयपुर से ईलाज कराकर आने के बाद रिपोर्ट दर्ज करायी थी। वह सवाई माधोपुर अस्पताल में 2-2.30 घंटे भर्ती रहा था व इसके बाद उसे जयपुर दिखाने को कहा था। वह जयपुर में एक हफ्ता रूका था। सवाई माधोपुर व जयपुर अस्पताल में भर्ती रहने के संबंध में दस्तावेज पत्रावली पर नहीं होने की बात स्वीकारता है। रिपोर्ट स्वयं द्वारा ही दर्ज कराना कहता है। बस के नम्बर उस दिन भी व आज भी याद नहीं होना कहता है।बस का चालक बस को तेज चला रहा था जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के उपर की गति से चला रहा था। बस का कलर पीला था। गवाह ने पुलिस में अपने बयान नहीं होना कहा है। वह जयपुर से ईलाज कराकर 27-28 सितंबर को आया था व जयपुर से आने के बाद 10 दिन बाद तक भी उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी, जिसका कारण अपनी हालत ठीक नहीं होना बताता है। पुलिस ने उसके सामने नक्शा मौका बनाया था जो मौके पर ही बनाया था। नक्शा मौका पर उसके अलावा किस-किस के हस्ताक्षर कराये, उसे पता नहिीं है। गवाह इस बात को स्वीकार करता है कि उसने मुकदमा क्लेम के लिए किया था। किंतु गवाह ने इस बात का गलत होना कहा है कि बस से उतरते समय संतुलन बिगड़ जाने से वह गिर गया हो और इससे उसके चोटें आयी हो।

13. गवाह पी.ड.-2 जफर अहमद ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 21-09-2017 को सुबह 7.00 से 7.30 बजे वह तथा उसका भाई इन्तेकाव शहर सवाई माधोपुर से सिटी बस से बजरिया जा रहे थे तो बस के चालक ने बस को तेज गति से चलाते हुए लटिया नाले के पुल के टक्कर मार दी, जिससे उसके भाई का हाथ टूट गया। गवाह ने बस के नम्बर याद नहीं होना बताया है। उक्त गवाह को भी अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है, जिसने अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी-7 का ए से बी भाग सही होना व नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हुए बस के नम्बर आरजे 25 पीए 1016 होना कहा है।

14. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि इन्तेकाव उसका भाई लगता है। बस किसकी थी, उसे पता नहीं है और कौन चला रहा था, यह भी उसे पता नहीं है। घटना की तारीख 21-09-2017 है, जबकि चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-2 में घटना की दिनांक 02-09-2017 है। बस में कितनी सवारियाँ थी, उसे पता नहीं है। बस में उसके व उसके भाई के अलावा उनका कोई और जानकार नहीं था। रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 गवाह ने अपने

सामने लिखी जाना बताया है। बस के नम्बर उसे उस दिन भी याद नहीं थे और आज भी याद नहीं है। बस के अंदर वह बीच में बैठा हुआ था। उसका भाई आगे ड्राईवर के पास बैठा था। बस में ब्रेक लगने से उसका भाई गिरा हो तो उसे पता नहीं। उसके भाई को दिनांक 21-09-2017 को लगभग 8.00-8.30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया था। सवाई माधोपुर अस्पताल में अपने भाई के भर्ती होने संबंधी दस्तावेज पत्रावली पर नहीं होना कहता है। उसके भाई को जयपुर रेफर किया था या नहीं, पता नहीं होना कहा है लेकिन उसी दिन उसे जयपुर ले जाना बताया है। एसएमएस हॉस्पीटल में उसका भाई कितने दिन भर्ती रहा, उसे पता नहीं। हॉस्पीटल में 2-5 दिन रूके थे। उसके बाद उसके भाई ने ससुराल में 20-25 दिन रेस्ट किया था। पुलिस को रिपोर्ट दिनांक 07-10-2017 को देने की बात स्वीकार करता है। पुलिस बयान प्रदर्श पी-7 में जो भी लिखा है, वह पुलिस ने लिखा है। गवाह ने इस बात का गलत होना बताया है कि इन्तेकाव बस से उतरते समय संतुलन बिगड़ जाने से गिर गया हो और इससे उसके चोटें आयी हो।

15. गवाह पी.ड.-3 सुबराती ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि साल 2017 में वे हास्पिटल से मिनी बस में बैठकर चले थे तो बस वाले ने लापरवाही से बस को चलाया व बस लटिया नाले के पुल की रेलिंग से टकरा गई, जिससे बस में बैठे कई लोगों के चोटें आना व बस के नम्बर याद नहीं होना बताया है। उक्त गवाह को भी अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है, जिसने अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी-8 का ए से बी भाग सही होना व बस के नम्बर आरजे 25 पीए 1016 होना बताया है।

16. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि बस किसकी है, उसे नहीं पता। इन्तेकाव व जफर उसका कुछ नहीं लगता। बस कौन चला रहा था, वह नहीं जानता। बस में लगभग 60-70 लोग बैठे हुए थे। बस का रंग कौनसा था, उसे पता नहीं। वह पुलिस थाने नहीं गया। उसके पुलिस में बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी-8 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं लिखवाया जाना कहा है। वह पुलिया पर ही उतर गया था और इसके बाद क्या हुआ, उसे पता नहीं। बस में बैठे लोगों के कई जगह चोटें आयी थी लेकिन उन्हें वह नहीं जानता। उन बैठे लोगों में से मुकदमा किसने दर्ज कराया, उसे पता नहीं।

17. गवाह पी.ड.-4 तेजसिंह ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 20-11-2017 को थाना कोतवाली पर चालक कानि० के पद पर रहते हुए उसके सामने मु.नं. 562/17 धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. में लक्ष्मण सिंह हैड कानि. ने बस नम्बर आरजे 25 पीए 1016 को जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी-9 जप्त किया था व उक्त वाहन का गवाह ने स्वयं द्वारा मैकेनिकल मुआयना किया जाना बताते हुए गाड़ी के सभी यांत्रिक सिस्टम का सही कार्य करना कहा है। गवाह ने बस के आगे-पीछे नम्बर प्लेट पर नंबर अंकित होना व फर्द जप्ती प्रदर्श पी-9 व एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

18. जिरह में गवाह ने फर्द जप्ती प्रदर्श पी-9 स्वयं के सामने बनायी जाना बताया है। गवाह ने बस पर किसी प्रकार के रगड़ के निशान नहीं होने व किसी तरह से डेमेज नहीं होने की बात स्वीकार की है।

19. गवाह पी.ड.-5 लक्ष्मण सिंह तत्कालीन हैड कानि. थाना कोतवाली सवाई माधोपुर हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 बनाया, गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये, घटना में वांछित बस नम्बर आरजे 25 पीए 1016 को जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी-9 जप्त किया व उसका मैकेनिकल मुआयना करवाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की, मजरूब इन्तेखाव की मेडिकल रिपोर्ट, एक्स-रे रिपोर्ट व एक्स-रे प्लेट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की, वाहन मालिक/चालक रमेश को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी-10 देकर जवाब प्राप्त किया, जिसने वरवक्त घटना वाहन को स्वयं द्वारा चलाना बताया। वाहन के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। अपनी तफ्तीश से मुलजिम रमेश के विरूद्ध अपराध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली एसएचओ नेमीचंद को सुपुर्द करना व उनके द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया जाना गवाह ने बताया है।

20. जिरह में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 दिनांक 07-10-2017 को थाने पर दी गई थी तथा उसमें घटना की दिनांक 21-09-2017 अंकित होना भी स्वीकारा है। फर्द जप्ती व फर्द डेमेज स्वयं के समक्ष बनाई जाना बताया है। गवाह ने एफ.आई.आर. घटना के 15 दिन बाद दर्ज

होने की बातस्वीकार की है। गवाह ने यह बात भी सही होना मानी है कि बस के दोनो साईडों में किसी प्रकार का कोई रगड़ निशान नहीं था और न ही पिचकी हुई थी। गवाह ने कथन किया है कि मजरूब सवाई माधोपुर अस्पताल में दो-ढाई घंटे भर्ती रहा था और उसी दिन उसे जयपुर रेफर कर दिया था। जयपुर में कितने दिन भर्ती रहा, यह जानकारी में नहीं होना बताया है।

21. गवाह पी.ड.-6 नेनूराम तत्कालीन कानि० थाना कोतवाली सवाई माधोपुर ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में बस नम्बर आरजे 25 पीए 1016 को जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी-9 स्वयं के सामने जप्त किया जाना व उक्त फर्द पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। **जिरह** में जप्ती अपने सामने बनाई जाना व इसीलिये लक्ष्मण सिंह जी के कहने पर हस्ताक्षर करना कहा है। बस का रंग कौनसा था, ध्यान नहीं होना बताया है। बस के दोनो साईड किसी प्रकार के रगड़ के निशान थे या नहीं, ध्यान नहीं होना बताया है।

22. गवाह पी.ड.-7 डॉ. शिशिर बैरवा चिकित्सकीय साक्षी है, जिसने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 10-10-2017 को मेडिकल ज्यूरिष्ट के पद पर सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर में कार्यरत रहते हुए उसने मजरूब इन्तेखाव के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया था, जिसके शरीर पर कारित चोट संख्या 1 व 2 में रेडियोलॉजिस्ट की राय मांगी गई थी तथा एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर मजरूब की चोट संख्या 1 व 2 गंभीर पायी जाना बताते हुए गवाह ने मजरूब के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-3 व एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। **जिरह** में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-3 की चोटे चलती हुई बस में बैठे हुए यात्री के अचानक ब्रेक लगने से आना संभव है।

23. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य व प्रदर्शित कराये गये दस्तावेजात के आधार पर न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण परिवादी/मजरूब इन्तेखाव की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पर दर्ज किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 21-09-2017 को सुबह 7.30 बजे बस नम्बर RJ 25-PA-1016 में बैठकर परिवादी शहर से रेल्वे स्टेशन सवाई माधोपुर जा रहा था

तो बस का चालक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर बस को तेज रफ्तार से लहराता हुआ जा रहा था, जिसे सवारियों ने मना किया कि गाड़ी धीरे चला लेकिन ड्राईवर नहीं माना व ड्राईवर ने बस को तेज रफ्तार, लापरवाही से चलाकर लटिया नाले की पुलिया के रोंग साईड में आकर टक्कर मार दी, जिससे परिवादी का बांया हाथ 2 जगह से टूट गया व कंधे पर भी चोट आयी। उल्लेखनीय है कि उक्त रिपोर्ट परिवादी द्वारा दिनांक 07-10-2017 को थाना कोतवाली सवाई माधोपुर में प्रस्तुत की गई है। अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के समर्थन में प्रकरण के परिवादी/मजरूब इन्तेखाव ने गवाह पी.ड.-1 के रूप में परीक्षित होकर मुख्य परीक्षण में यह कथन किये हैं कि उसे बस के नंबर मालमू नहीं है। इस पर उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में उक्त गवाह ने बस के नंबर तथा बस के ड्राईवर की पहचान स्थापित करने में अनभिज्ञता जाहिर की है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं मजरूब ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसने केवल मात्र क्लेम प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया था तथा उसे क्लेम के 70 हजार रूपये मिल चुके हैं। इसी क्रम में कथित रूप से दुर्घटना कारित करने वाली बस में सवार सवारियों के रूप में गवाह पी.ड.-2 जफर अहमद व पी.ड.-3 सुबराती द्वारा न्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर कथन किये गये हैं कि उन्हें बस के नम्बर याद नहीं है। उक्त दोनो ही गवाह अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होने अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में भी इस संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किये हैं कि कथित वाहन को अभियुक्त रमेश द्वारा ही घटना की दिनांक 21-09-2017 को लोकमार्ग पर लापरवाहीपूर्वक तेज रफ्तार से संचालित कर दुर्घटना कारित की हो। मैकेनिकल मुआयना के गवाह पी.ड.-4 तेजसिंह द्वारा भी जिरह में यह कथन किया है कि किसी भी प्रकार के रगड़ के निशान बस पर नहीं थे और न ही किसी तरह का कोई डेमेज बस पर था।

24. हस्तगत प्रकरण में यह भी गौर किये जाने योग्य तथ्य है कि परिवादी द्वारा एक सार्वजनिक बस के चालक द्वारा बस को तेज रफ्तार व लापरवाही से संचालित कर दुर्घटना कारित किये जाने का आरोप लगाया गया है, परंतु अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड.-5 लक्ष्मण सिंह द्वारा ऐसे किसी भी स्वतंत्र गवाह अर्थात् वक्त घटना बस में सवार व्यक्तियों को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि नक्शा मौका

प्रदर्श पी-5 में एक्स स्थान पर बस के चालक द्वारा बस को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक संचालित किया हो या तेज गति से नियमों के विरूद्ध लहराकर चलाया हो। यह भी उल्लेखनीय है कि मजरूब इन्तेखाव द्वारा प्रदर्श पी-1 रिपोर्ट में घटना की तारीख दिनांक 21-09-2017 बतायी गयी है, वहीं थाना कोतवाली पर उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 प्रस्तुत करने की दिनांक 07-10-2017 अंकित है अर्थात् घटना के लगभग 15-16 दिन के अंतराल के बाद मजरूब द्वारा थाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा उक्त देरी का स्पष्टीकरण न तो मजरूब द्वारा न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया गया है और न ही प्रकरण में परीक्षित किसी अन्य साक्षी द्वारा स्पष्ट किया गया है। स्वयं मजरूब इन्तेखाव यह तथ्य जिरह में सशपथ स्वीकार करता है कि उसने क्लेम प्राप्त करने के लिए मुकदमा दर्ज कराया था एवं उसे बस के चालक तथा बस के नंबर की विशिष्टियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। महत्वपूर्ण गवाहान द्वारा नक्शा मौका के संबंध में भी अनभिज्ञता जाहिर की गई है।

25. धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. से संबंधित प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि उक्त धाराओं के घटकों के प्रकाश में अभियोजन को सर्वप्रथम यह साबित करना होगा कि अभियुक्त द्वारा ही वरवक्त घटना दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को लोकमार्ग पर संचालित किया जा रहा था। परंतु हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहान की साक्ष्य से न तो कथित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के रूप में अभियुक्त रमेश की पहचान ही स्थापित हो पायी है और न ही कथित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की विशिष्टियों के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर पेश करने में अभियोजन पक्ष सफल रहा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के विनम्र मत में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि बस नम्बर RJ 25-PA-1016 के चालक द्वारा वरवक्त घटना प्रदर्श पी-5 में एक्स स्थान पर स्थित स्थान लोकमार्ग पर उक्त बस को तेज रफ्तार से लापरवाहीपूर्वक संचालित कर दुर्घटना कारित की हो, जिससे मजरूब के चोटें कारित हुई हो।

26. ऐसे में उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 21-09-2017 को समय

सुबह 7.30 बजे या इसके लगभग थाना कोतवाली, सवाई माधोपुर के सामने लोकमार्ग पर वाहन बस नम्बर RJ 25-PA-1016 को उतावलेपन, लापरवाही व तेज गति से चलाया, जिससे उक्त बस नियंत्रित होकर थाना कोतवाली, सवाई माधोपुर के आगे स्थित लटिया नाले की पुलिया से टकरा गई व बस में बैठे परिवादी इन्तेखाव अहमद के हाथ में अस्थिभंग कारित हुआ व शरीर पर अन्य जगह साधारण चोटें कारित हुई। अतः ऐसे में अभियुक्त रमेश के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं तथा अभियुक्त उक्त अपराधों के आरोपों में दोषमुक्ति का पात्र है।

आदेश

27. अतः अभियुक्त रमेश पुत्र पूरण उम्र 62 साल निवासी कागजी मौहल्ला थाना कोतवाली सवाई माधोपुर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के इस प्रकरण में नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में लिये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है, जिसके संबंध में लिये गये जमानत नामा व सुपुर्दगी नामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझे जावे। वाहन सुपुर्दगीदार के पास रहे।

(मयंक पालीवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

28. निर्णय आज दिनांक 04-08-2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(मयंक पालीवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर